UNO's Universal Declarations for Human Rights and Communication
मानव अधिकार और संचार के लिए यूएनओ की सार्वभौमिक घोषणाएं

By-
Dr. Parmatma Kumar Mishra
Assistant professor
Dept. of Media studies
Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar
Email:pkmishra@mgcub.ac.in

अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता ।
- हेराल्ड लास्की

Rights are the circumstances of human life, without which a person cannot develop his personality fully.
- Harold Laski

"अधिकार सामाजिक हित के लिए कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं जो कि नागरिक के यथार्थ विकास के लिए अनिवार्य हैं।"
-मैकन
"Rights are some beneficial conditions for the social benefit which are essential for the real development of the citizen."
-Macon

मानव अधिकार

मानव अधिकार इतिहास की नवीन अवधारणा है। प्राचीन और मध्य काल में, शासक (राजा) को शासन करने के असीमित अधिकार प्राप्त थे। शासन करने की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होती थी। प्रजा जो भी प्राप्त करती थी, वह शासक के द्वारा दिया गया दान स्वरूप था। उस समय अधिकार की बात करना ही बेमानी थी। जैसे आज भी अधिकांशतः धार्मिक परंपराओं में दया और दान को बढ़ावा देने की मांग है, लेकिन स्वतंत्रता या समानता के अधिकार की अवधारणा नहीं हैं। उसी तरह प्राचीन और मध्य काल में प्रजा के लिए स्वतंत्रता और समानता के कोई मायने नहीं थे। धीरे-धीरे इसमें बदलाव आया और कुछ समाजों में अपने समानता का कुछ स्तर प्रदान करने का चलन शुरू हुआ।इस तरह से व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता आयी और लोकतांत्रिक परिवेश में मानवाधिकार के रूप में यह विस्तारित हुआ।

Human rights

Human rights are a new concept of history. In ancient and medieval times, the ruler (king) had unlimited rights to rule. The king had supreme power to rule. What the people received was the form of charity given by the ruler. At that time it was meaningless to talk of authority. Just as in most religious traditions today, there is a demand to promote mercy and charity, but not the concept of freedom or right to equality. Similarly, freedom and equality had no meaning to the people in the ancient and middle ages. Gradually this changed and in some societies the practice of providing some level of equality was introduced. In this way, there was an awareness of individual rights and it expanded as human rights in a democratic environment.

मानवाधिकार संरक्षण
Human rights protection

मानव विवेकशील प्राणी है और इसलिए इसको कुछ महत्वपूर्ण मूल तथा अहरणीय अधिकार प्रदान किए गए है जिन्हे सामान्यतया "मानवाधिकार" कहा जाता है। हालांकि यह अधिकार उसे वर्षो के संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ। मानवाधिकार में यह निर्दिष्ट है की कोई भी कार्य व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधारणा में यह सन्निहित है कि मानव को अन्यायोचित और अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित किया जाना चाहिए। मानवाधिकार के संरक्षण में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिसका आज फलक और प्रभाव बहुत व्यापक हैं।

Human being is a rational animal and therefore it has been given some important basic and non-exclusive rights which are commonly called "human rights". However, he got this right as a result of years of struggle. In human rights it is specified that no action can or should be done against the will of the person. It is embedded in this concept that human beings should be protected from unjust and degrading behavior. Media can play an important role in the protection of human rights, which today have a wide range of effects and impact.

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना का सार

चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व-शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। साथ ही मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा को लेकर अत्याचार, अगर अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए, संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनता के बुनियादी मानव अधिकारों , मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता , नर-नारियों के समान अधिकारों को लेकर , संयुक्त राष्ट्र सभा सचेत है और सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकार और बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे, इसलिए, अब, समान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति लोगों में सम्मान की भावना जाग्रत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दें और उनका पालन कराएं।

Summary of the Preamble to the Universal Declaration of Human Rights

Since the inherent pride of all members of the human family and the acceptance of equal and unquestioned rights is the foundation of world peace, justice and freedom. Also, atrocities on disregard and hatred of human rights, if against unjust rule and oppression, to enhance friendly relations between nations, basic human rights of the people of the member states of the United Nations, pride and competence of the human personality, With regard to the equal rights of male and female, the United Nations Assembly is conscious and the member states have pledged that they Cooperation with nations will increase universal respect for human rights and basic freedoms, therefore, now, the General Assembly declares that this universal declaration of human rights is the success of all nations and all peoples alike. Its purpose is that every person and every part of the society, keeping in view this declaration, will endeavor through teaching and education to instill in the people a sense of respect for these rights and freedoms and progressively take such national and international measures. Go with whom the people of the member countries and the people authorized by them are sovereign and sovereign of these rights. Provide Safety Votpadk acceptance and reared.

मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा-
10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा स्वीकृत एवं अंगीकृत मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा के 30 अनुच्छेद निम्नलिखित है-

अनुच्छेद 1
सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।

अनुच्छेद 2
सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार-प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसीअन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाएगा। चाहे वह किसी देश या राज्य का निवासी हो।

अनुच्छेद 3
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 4
कोई भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा, गुलामी-प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद 5
किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यबहार होगा।

अनुच्छेद 6
प्रत्येक को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति-प्राप्ति का अधिकार है।

अनुच्छेद 7
कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं।

अनुच्छेद 8
सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।

अनुच्छेद 9
किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद, या देश-निष्कसित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 10
सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद 11
प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए।

अनुच्छेद 12
किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर, या पत्रव्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा।

अनुच्छेद 13
1. सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक आने, जाने और निवास का अधिकार
2. देश को छोड़ने और अपने देश वापस आने का अधिकार है

अनुच्छेद 14
1. प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है।
2. इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं प्राप्त होगा जो वास्तव में गैर-राजनीतिक अपराधों से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 15
1. किसी भी राष्ट्र-विशेष की नागरिकता का अधिकार है।
2. मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 16
1. बालिग स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार स्थापन करने का अधिकार है।
2. स्त्री-पुरुषों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।

अनुच्छेद 17
1. अकेले और दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार
2. किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 18
प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है।

अनुच्छेद 19
प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिए से तथा सीमाओं की परवाह न करके किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित

अनुच्छेद 20
1. प्रत्येक व्यक्ति को शांति पूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार
2. किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 21
1. शासन में प्रत्यक्ष या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधिओं के जरिए शामिल होने अधिकार
2. सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार
३. सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा (मतदान) होगी

अनुच्छेद 22
प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

अनुच्छेद 23
1.स्वेक्षा से रोजगार के चुनाव और बेगारी से संरक्षण पाने का अधिकार
2. बिना किसी भेदभव के समान मजदूरी पाने का अधिकार
3. उचित और अनुकूल मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार जो मानवीय गौरव के योग्य हो
4. अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार

अनुच्छेद 24
 विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय-समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां शामिल

अनुच्छेद 25
1.ऐसे जीवनस्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो।
2. जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का अधिकार

अनुच्छेद 26
1. शिक्षा का अधिकार। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी।
 2. शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना

अनुच्छेद 27
1. स्वतंत्रता-पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने, तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविशाओं में भाग लेने का अधिकार
2. अपने स्वयं द्वारा रचित वैज्ञानिक साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 28
 ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके

अनुच्छेद 29
1. उस समाज के प्रति कर्तव्य का अधिकार जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो।
2. अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करने का अधिकार
3. इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30
मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य यहां बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो।

Universal Declaration of Human Rights
Following is the 30th article of the Universal Declaration of Human Rights, adopted and adopted by the United Nations Assembly on December 10, 1948-

Article 1
All human beings have inherent freedom and equality in terms of pride and rights.

Article 2
Everyone has the right to get all the rights and freedoms embodied in this declaration and in this case caste, varna, gender, language, religion, political or other thought system, birth, property or any other dignity etc. in a particular country or society Discrimination will not be considered due to Whether he is a resident of a country or a state.

Article 3
Everyone's right to life, liberty and personal security

Article 4
No one will be kept in slavery or slavery, slavery and slave trade in all its forms will be prohibited.

Article 5
No one will be subjected to physical torture and will not be cruel, inhuman or degrading to anyone.

Article 6
Everyone has the right to be accepted as a person everywhere in the eyes of the law.

Article 7
All are equal in the eyes of law and all are entitled to equal legal protection without discrimination.

Article 8
Everyone has the right to effective assistance of the appropriate national courts against the works which violate the basic rights obtained by the constitution or law.

Article 9
No one will be arbitrarily arrested, detained, or expelled.

Article 10
Everyone is equally entitled to a fair and public hearing in the matter of the determination of their rights and duties by the court of justice.

Article 11
Every person who is charged with a punishable offense shall be deemed to be innocent, unless he is proven guilty in such open court.

Article 12
There will be no arbitrary interference with a person's privacy, family, home, or correspondence, nor will there be any attack on one's honor and reputation.

Article 13
1. Freedom to enter, move and live within limits
2. The right to leave the country and return to the country

Article 14
1. Everyone has the right to seek refuge and live in other countries if persecuted.
2. The benefit of this right will not be obtained in cases which are actually related to non-political offenses.

Article 15
1. The right of citizenship of any particular nation.
2. Will not be arbitrarily deprived of citizenship of its nation.

Article 16
1. Adult men and women have the right to marry and establish a family without any caste, nationality or religion constraints.
2. Marriage will be possible only with full and independent consent of men and women.

Article 17
1. The right to own property alone and with others
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion.

Article 19
Everyone has the right to freedom of thought and expression. This includes exploring, accepting and imparting information and perception of anyone through any medium and taking care of any means and regardless of limitations.

Article 20
1. Everyone's right to freedom to hold peace meetings or to form a committee
2. No one will be forced to become a member of any organization.

Article 21
1. Right to join the government directly or through freely elected representatives

2. Equal right to get government jobs
3. The will of the people will be the basis of government's power (voting)

Article 22
Everyone has the right to social security and the right to obtain the necessary economic, social and cultural rights.

Article 23
1. The right to protection from employment and employment without employment.
2. Right to get equal wages without any discrimination
3. Right to receive fair and favorable wages that are worthy of human pride
4. Right to form and participate in trade unions to protect their interests

Article 24
The right to rest and leisure. This includes reasonable demarcation of hours of work and holidays including periodic wages.

Article 25
1. The right to attain a standard of living which is sufficient for the health and welfare of him and his family.
2. Mother and child's right to special support and convenience

Article 26
1. Right to education. Education will be free, at least in elementary and basic stages.
2. The aim of education will be the full development of human personality and a sense of respect for human rights and basic freedoms.

Article 27
1. The right to participate in the cultural life of the pre-independence society, enjoy the arts, and participate in scientific advancement and its facilities.
2. The right to protect the moral and economic interests arising out of a scientific literary or artistic work composed by himself.

Article 28
The right to attain such social and international order in which the mentioned rights and freedoms can be fully achieved.

Article 29
1. Right to duty towards the society in which free and complete development of his personality is possible.
2. Right to exercise our rights and freedoms
3. These rights and freedoms will not be used in any way against the principles and objectives of the United Nations.

Article 30
Nothing mentioned in the Universal Declaration of Human Rights should be construed as implying that any state, group or individual has the right to engage in any endeavor or to do such an act, the rights and freedoms set forth herein Destroy any of them.

संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार

सेवानिवृत्त राजदूत दिलीप सिन्हा के अनुसार 'एक सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में मानव अधिकारों के जन्म का श्रेय संयुक्त राष्ट्र को दिया जाना चाहिए। इसके निरन्तर विकास में भी संयुक्त राष्ट्र मुख्य कारक रहा है।' प्रिंसटन विश्वविद्यालय के पॉल कैनेडी ने "आदमी की संसद" में तर्क दिया है कि "संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार का एजेंडा, पर्यावरण और शांति स्थापना जैसी अन्य समानांतर पटरियों की तुलना में सबसे अधिक उन्नत हुआ है।

According to retired Ambassador Dilip Sinha, 'The birth of human rights as a universal concept should be credited to the United Nations. The United Nations has also been a major factor in its continued development. Paul Kennedy of Princeton University argues in the "Parliament of Man" that "the United Nations' human rights agenda has advanced the most compared to other parallel tracks such as the environment and peacekeeping."

"communication represents an essential and very important human need as well as a basic human right"
-Fulya Sen

"संचार एक आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण मानवीय आवश्यकता के साथ-साथ एक बुनियादी मानव अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है"
-फूले सेन

संचार के अधिकार की अवधारणा
Concept of right to communication

संचार के अधिकार" में दो दृष्टिकोण शामिल हैं: मौलिक और समावेशी। मौलिक दृष्टिकोण यह है कि हर किसी को संचार करने का अधिकार है। समावेशी दृष्टिकोण यह है कि संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता हो, जिससे संचार के अधिकार का उद्देश्य आसानी से पूर्ण हो सके। संचार माध्यमों के उपयोग करने की स्वतंत्रता हो लेकिन यह भी देखा जाना आवश्यक है कि संचार से हुए संवाद और विचार विमर्श, बहस, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने दें। स्वतंत्रता के लिए संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। संचार के अधिकार की पूर्ण मान्यता के लिए आवश्यक है कि संचार संसाधन सभी की मूलभूत संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध हों।

Concepts of Rights to communications

The "right to communication" includes two perspectives: fundamental and inclusive. The fundamental view is that everyone has the right to communicate. An inclusive approach is the availability of the necessary resources to establish communication, so that the objective of the right to communication is easily fulfilled. There should be freedom to use communication mediums but it is also necessary to see that communication and discussions, debates, conflicts of communication do not arise. Freedom requires access to resources. Full recognition of the right to communication requires that communication resources be available to meet everyone's basic communication needs.

संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौम घोषणा और संचार
Universal Declaration and Communication of the United Nations

संचार के अधिकार पर चर्चा संचार के संवादात्मक पर केंद्रित है। इसके समर्थकों का तर्क है कि बातचीत या संवाद की भावना में संचार को विशेष सुरक्षात्मक और सक्षम करने के प्रावधानों की आवश्यकता है। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 19 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 19 दोनों में मानवाधिकार कानून-विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों में मुख्य रूप से सूचना का प्रसार, सूचना का परामर्श और सूचना का पंजीकरण शामिल है। व्यावहारिक रूप से सभी मानवाधिकार प्रावधान संदेशों के हस्तांतरण के रूप में संचार को संदर्भित करते हैं । व्यक्तिगत विचारों को संप्रेषित करने और व्यक्त करने का अधिकार होने से, लोग खुद को समान रूप से व्यवहार करते हैं - दूसरे शब्दों में: संचार मानव समानता को मान्य करता है। इस प्रकार संचार अधिकारों का संरक्षण और कार्यान्वयन मानव अधिकारों के सामान्य विषय का एक अनिवार्य हिस्सा है।

मानवाधिकार के लिए संचार की महत्ता को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मूल भावना है उसके पीछे निम्नलिखित अवधारणा केन्द्रीभूत है-

1-समाज में लोकतांत्रिक राजनीतिक भागीदारी के लिए संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2-संचार के द्वारा नागरिक अधिकार एवं उससे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का संरक्षण सम्भव हो पाता है।
3- व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर विविध संस्कृतियों, सांस्कृतिक रूपों और पहचान को संचार द्वारा ही संचालित किया जाता है।
4- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का पूर्ण क्रियान्वयन संचार से संभव होता है।
Discussion on the right to communication focuses on communicative communication. Its proponents argue that special protective and enabling provisions are needed in the spirit of dialogue or dialogue. Both Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights include human rights law - freedom of thought and expression as a fundamental right. Current international human rights standards mainly include dissemination of information, consultation of information and registration of information. Practically all human rights provisions refer to communication as the transfer of messages.

.....
By having the right to communicate and express personal views, people treat themselves equally - in other words: communication validates human equality. Thus the protection and implementation of communication rights is an essential part of the general theme of human rights. The following concept is centered around the basic spirit of the United Nations regarding the importance of communication for human rights.

1-Communication has an important role for democratic political participation in society.
2- Through communication, the protection of civil rights and all related processes is possible.
3- Communication is carried out by the communication of diverse cultures, cultural forms and identities at personal and social levels.
4- The full implementation of the right to freedom of expression is possible through communication.

संचार एक तरफ़ा प्रक्रिया नहीं है। इसलिए संचार का अधिकार सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही निम्नलिखित अधिकार शामिल है-

- सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार
- सार्वजनिक निकायों से जानकारी तक पहुँचने का अधिकार
- सामग्री पर अनुचित प्रतिबंधों से मुक्त होने का अधिकार
- गोपनीयता का अधिकार, जिसमें गुमनाम रूप से संवाद करने का अधिकार शामिल है ।

प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने के लिए एक विशेष जनादेश वाली यूनेस्को एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है जो यह स्वीकार करता है कि प्रेस की स्वतंत्रता मजबूत लोकतंत्र बनाने, नागरिक भागीदारी और कानून के शासन को बढ़ावा देने और मानव विकास और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अधिकार को व्यापक रूप से अन्य सभी मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को रेखांकित करने के रूप में देखा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों के लिए यूनेस्को की प्रतिबद्धता तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना की पहुंच और मुक्त प्रवाह और इस निमित्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा की दिशा में युनेस्को के प्रयास प्रशंसनीय है। इस प्रकार, मीडिया पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करना और संचार और सूचना को लेकर यूनेस्को की मूल भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह प्रत्येक नागरिक के हित में है कि अधिक से अधिक सूचना साक्षरता कौशल विकसित हो।

.....Communication is not a one-way process. Hence the right to communication also confers the right to receive information from both public and private sources. Also included are the following rights-

- Right to participate in public decision making processes
- Right to access information from public bodies
- The right to be free from unreasonable restrictions on content
- Right to privacy, including the right to communicate anonymously.

UNESCO is the only UN agency with a special mandate to defend freedom of the press, recognizing that freedom of the press is necessary to build strong democracy, promote civic participation and rule of law, and encourage human development and security Is necessary for The right that guarantees freedom of expression is widely seen as outlining all other human rights and democratic freedom. The commitment of UNESCO to the fundamental principles of freedom of expression and the access and free flow of information at the international level and the efforts of UNESCO towards promoting international cooperation in this behalf are laudable. Thus, it is necessary to provide capacity building for media professionals and to promote UNESCO's core sense of communication and information. It is in the interest of every citizen to develop more information literacy skills.

References-

1-http://www.hindijournal.com/archives

2-https://mea.gov.in/distinguished-lectures

3-https://necessaryandproportionate.org/hi

4-https://hi.m.wikipedia.org/wiki

5-http://manavadhikarss.org/human-rights-in-india/

6-https://manvadhikarabhivyakti.wordpress.com

7-https://internationalcommunicationproject.com/profile/communication-basic-human-right/

8-https://www.researchgate.net/publication/277651307_Communication_and_Human_Rights

धन्यवाद
Thanks